भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2825

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग

2825 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कृष्णा जिलों में संस्वीकृत तथा निर्माणधीन चार-लेन और छह-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं की प्रति किलोमीटर लागत कितनी है;

(ख) क्या इन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अनुमोदित मानक लागत मानदंडों के अनुरूप है और यदि नहीं, तो इसके विचलन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गुंटूर और कृष्णा जिलों में चल रही परियोजनाओं में लागत में वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं, लागत में संशोधन को प्राधिकृत करने वाला प्राधिकारी कौन है और विगत दो वर्षों के दौरान कितने संशोधनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान गुंटूर जिले में 1,032.52 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ एक चार लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसकी प्रति किलोमीटर लागत 20.68 करोड़ रुपये है। इस अवधि के दौरान कृष्णा जिले में चार लेन या छह लेन की कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ख) उपर्युक्त परियोजना के सिविल कार्यों की अनुमोदित अनुमानित लागत मानक लागत मानदंडों के भीतर है।

(ग) संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य समायोजन के अलावा उक्त अवधि के दौरान गुंटूर जिले में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में कोई लागत वृद्धि नहीं हुई है।

*****